न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA001 Narsingh Vs Nemichand etc

नरसिंह पुत्र भेरूसिंह राजपूत
निवासी तिंवरी, तहसील तिंवरी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. नेमीचन्द पुत्र बालुराम माली
2. गोपाल पुत्र बालुराम माली
3. हीराराम पुत्र बालुराम माली
4. रामेश्वर पुत्र बालुराम माली
   निवासीगण तिंवरी, तहसील तिंवरी
   जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार तिंवरी
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, ओसियां दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 प्रकरण संख्या 315/2016 नरसिंह बनाम नेमीचंद इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री एस.एन.राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 4
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट नें न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 315/2016 नरसिंह बनाम नेमीचन्द इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को पेश की है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-अपीलाण्ट ने ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 485/4 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना जाहिर करते हुए एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर बताया कि उसके पडौस के खसरा संख्या 486 व सडक मध्य में प्रार्थी के खसरा संख्या 485/4 की करीब एक बीघा खाली पडी भूमि पर अप्रार्थीगण ने दिनांक 21 अक्तूबर 2016 को कुछ पत्थर लाकर डाले तथा नीवें खोद कर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया, प्राथी द्वारा विरोध करने पर फिर कभी मौका लगने पर जबरन निर्माण कर कब्जा कर लेने की एलानिया धमकी दी। इससे प्रार्थी के मन में भय एवं आशंका उत्पन्न हो गयी और उसने एक नियमित दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश कर दिया, फिर भी दावे के निस्तारण में समय लगने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन आदेश पेश किया गया है जो स्वीकार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 24 अक्तूबर 2016 को दर्ज किया जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, उसके बाद दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को दोनों पक्षों की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी-अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र एवं अंतरिम आदेश दिनांक 24 अक्तूबर 2016 भी खारिज कर दिया। जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व्यथित होकर अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 485/4 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा तिंवरी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत दावा पेश किया और मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया। उक्त प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अक्तूबर 2016 को दर्ज किया जाकर अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा जारी भी की गयी, उसके बार प्रतिपक्ष की ओर से जबाब पेश किया गया, फिर आदेशिका दिनांक 8 नवम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पेश किया गया, जिसका अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जबाब पेश किया गया, फिर उक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 03 मई 2018 को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गयी, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त 2018 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। मगर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में कब पेश हुई, इस संबंध में न तो अपीलाधीन आदेश में कोई स्थिति साफ है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं से इस संबंध में कोई विवरण प्राप्त होता है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त 2018 उपलब्ध है जिसके अनुसार अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 485/4 के सामने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तिंवरी-ओसियॉ सडक है, खसरा संख्या 486 रेस्पो. का है, खसरा संख्या 485/4 का कुल अंश, करीब एक बीघा खसरा संख्या 486 के अन्दर है, चूंकि खसरा संख्या 485/4 व खसरा संख्या 486 के मध्य सडक है, इसलिए ऐसा सम्भव ही नहीं है कि खसरा संख्या 485/4 का कुल अंश, करीब एक बीघा खसरा संख्या 486 के अन्दर हो। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 486 में धर्मकांटा बना हुआ है। स्वयं अपीलाण्ट के अनुसार धर्मकांटा के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इन परिस्थितियों में जब सडक के कारण खसरा संख्या 485/4 एवं खसरा संख्या 486 के मध्य एक सीमा रेखा स्वतः ही बन जाती है तो फिर खसरा संख्या 485/4 की भूमि का कोई अंश खसरा संख्या 486 में सम्मिलित होने की सम्भावना ही नहीं बचती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 दिसम्बर 2018 न्यायोचित एवं विधिसम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। स्वयं अपीलाण्ट के अनुसार ".....उसके पडौस के खसरा संख्या 486 व सडक मध्य में प्रार्थी के खसरा संख्या 485/4 की करीब एक बीघा खाली पडी भूमि पर...." अर्थात उसकी खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के मध्य में सडक स्थित होना स्पष्ट होता है। जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में तलब की गयी है, उस मौका रिपोर्ट के अनुसार भी ".... तिंवरी-ओसियां **डामर सडक के उत्तर की तरफ वादी नरसिंह** की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 485/4 रकबा 19 बिस्वा तथा 485/3 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा रामसागर ..... **तथा रोड के दक्षिण की तरफ प्रतिवादीगण की भूमि खसरा संख्या 486 आवासीय आई हुई** है जिसमें प्रतिवादीगण का एक धर्मकांटा भी बना हुआ है। ...." खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

485/4 व खसरा संख्या 486 के मध्य सडक स्थित होना वर्णित किया गया है। दोनों खसरों के मध्य स्थित सडक स्पष्टः इनको पृथक-पृथक करती है, इनके मध्य स्थाई सीमांकन करती है। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 486 व डामर सडक के मध्य खसरा संख्या 485/4 का भूभाग किस प्रकार हो सकता है, यह स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा अदालत हाजा के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य अथवा तार्किक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र अपीलाण्ट के मौखिक कथनानुसार विश्वास करते हुए किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायोचित नहीं समझा गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट अपने प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित नहीं कर सका है। जिससे अदालत हाजा भी सहमत है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर